

मुख्वजा
क़व्वाली का शरई हुक्म

मोहम्मद राहत खाँ क़ादरी



मकतबुन्नूर ऐजूकेशनल सोसायटी, शाहजहाँपुर (यू० पी०)
(M) 9457919474 E-mail:mrkmqadri@gmail.com

पेश लफ़्ज़

अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया : **"ऐ ईमान वालो तुम ख़ुद को और अपने अहल व अयाल (घर वालों) को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं"**। (पारह 28 सूरह तहरीम आयत 6) हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : कि तुम में से हर एक निगेहबान है और हर एक से उसकी राअ़य्यत (जिसकी वह निगहबानी कर रहा है) के बारे में सवाल होगा। तो इन्सान को अपने आप को भी गुनाहों से बचाना चाहिए और जहाँ तक वह दूसरों को रोक सके तो उनको भी ग़लत कामों से रोके क्योंकि ग़लत कामों पर रोकने की कुदरत के बावजूद ना रोकना यह भी गुनाह में शरीक होना है। बाज़ जगहों पर क़व्वालियाँ ढोल, ताशे, बाजे, हरमोनियम और तबले के साथ होती हैं जो कि नाजयज़ और ह़राम हैं। इसी के साथ साथ उन क़व्वालियों में फ़ाहेशा (बदकार) औरतों और बाज़ारी मर्दों के मुशायरे के नाम पर इश्क़िया मुक़ाबला होता है यह भी नाजायज़ व हराम है। इसी के साथ ऐसी क़व्वालीयों में मर्दों और औरतों की शिरकत होती है यह शिरकत बहुत से हराम कामों पर मुशतमिल होती है जो किसी भी अक़्लमन्द से पोशीदा नहीं है। और बाज़ जगह यह क़व्वालियाँ क़ब्रस्तानों में होती हैं। इस किताब के अन्दर इन तमाम बातों का कुर्आन व हदीस और बुज़ुर्गों के अक़्वाल और फुक़्हा किराम के फ़तवों की रोशनी में हुक्म ब्यान किया गया है।

मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाइयों! ग़ौर करो जो क़व्वालियाँ आज की जा रही हैं उस में कितना गुनाह है उसको ब्यान करने के लिए मैंने यह चन्द पेज लिखे ताकि मुसलमान भाई पढ़ कर इबरत हासिल करें।

अन्दाज़े ब्याँ अगर्चे बहुत शौख़ नहीं है।
शायद कि उतर जाये तेरे दिल में मेरी बात।

और इस गुनाह के काम से बचें। किताब आपके हाथों में है पेज पलटें और पढ़ें।

मुहम्मद राहत ख़ाँ क़ादरी
जामिया रज़विया मन्ज़रे इस्लाम, बरेली शरीफ़
संस्थापक : मकतबुन्नूर ऐजूकेशनल सोसायटी।

इज़हारे मसर्रत

अज़ :—नबीरए आला हज़रत हज़रत अल्लामा अलहाज अश्शाह मुहम्मद **सुब्हान रज़ा खाँ सुब्हानी मियाँ** सज्जादा नशीन दरगाहे आला हज़रत बरेली शरीफ़

आज इल्मे दीन की तरफ़ अवाम की रग़बत न होने की वजह से अवाम ने दीन के नाम पर न जाने कितने ऐसे काम ईजाद कर रखे हैं कि जो बाइसे सवाब तो क्या होंगे अल्बत्ता जहन्नम में ज़रूर ले जायेंगे। इन्हीं ख़ुराफ़ाती और मज़मूम कामों में से आज के दौर में होने वाली मुरव्वजा क़व्वालियाँ भी हैं जिनमें उ़मूमन फ़ासिक़ व फ़ाजिर बल्कि नशा करने वाले क़व्वाल ढोल, ताशे, मज़ामीर, हरमोनियम वग़ैरह के साथ क़व्वाली गाते हैं जिनके अशआ़र उमूमन ग़ैर शरअ़ई होते हैं बल्कि बाज़ जगह तो तवायफ़ों तक को क़व्वाली के मुक़ाबले के लिये लाया जाता है और कोई रोकने वाला अगर रोके तो यह लोग फ़ौरन ही चिश्ती सूफ़िया—ए—किराम का हवाला पेश करते हैं हालांकि एक आम आदमी भी यह फ़ैसला कर सकता है कि कहाँ उन सूफ़िया—ए—किराम की रूहानी ''महफ़िले सिमा'' और कहाँ इनकी क़व्वाली की ग़ैर शरअ़ई महफ़िलें। कहाँ उन सूफ़िया—ए—किराम का पाकीज़ा कलाम और कहाँ इनके बेग़ैरती से पुर फक्कड़ और ग़ैर शरअ़ई अश्आ़र। आज इस बात की ज़रूरत है कि अवामी ज़ुबान में सहल और सादा अन्दाज़ में इन ग़ैर शरअ़ई उमूर को रोकने के लिए मुख़्तसर किताबचे मन्ज़रे आम पर लाये जायें। यह सुनकर बड़ी मसर्रत हुई कि हमारे ''जामिया रज़विया मन्ज़रे इस्लाम'' में शोबए ट्रेनिंग में तदरीसी ख़िदमात अन्जाम देने वाले मौलाना मुहम्मद राहत खाँ क़ादरी ज़ीदामज्दोहू ने ''मुरव्वजा क़व्वाली का शरअ़ई हुक्म'' नामी रिसाला हिन्दी ज़ुबान में तहरीर फ़रमाकर अवाम की इस्लाह का एक बेहतरीन सामान फ़राहम किया है। अल्लाह तआ़ला उनके इस इस्लाही जज़्बे को क़बूल फ़रमाये और अवामे अहले सुन्नत को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे। आमीन

फ़क़ीर क़ादरी मुहम्मद सुब्हान रज़ा खाँ सुब्हानी गुफ़िरालहु

बतारीख़ 25—रजब 1435 हिजरी

गुले गुलज़ारे वास्तियत सूफ़ी–ए–बा सफ़ा हज़रत अल्लामा अलहाज सय्यद मुहम्मद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती चिश्ती

सज्जादा नशीन : ख़ानकाहे आलिया चिश्तिया वास्तिया क़ादरिया, बिलग्राम शरीफ़।

अज़ीज़म मौलाना मुहम्मद रियाज़ खाँ बरकाती के ज़रिये से मालूम हुआ कि मौलाना मुहम्मद राहत खाँ क़ादरी सल्लामहु ने ''मुरव्वजा क़व्वाली का शरअ़ई हुक्म'' नाम से एक किताब तरतीब दी है सुनकर ख़ुशी हुई ज़रूरत के मुताबिक़ इस्लाहे मुआ़शरा पर ऐसी किताबों की इफ़ादियत मोहताजे ब्यान नहीं जो कि लोगों के अन्दर फैली बुराईयों को दूर करने के लिये लिखी जायें।

ज़ेरे नज़र किताब के अन्दर ढोल, ताशे, बाजे, हरमोनियम, ताली, औरतों और मर्दों के इख़तिलात के साथ क़व्वाली का शरअ़ई हुक्म लिखा गया है जिसके नाजायज़ व हराम होने में कोई शक नहीं। ''सिमा'' जो कि बुज़ुर्गाने दीन और औलिया–ए–किराम सुनते थे अगर आज भी कोई उन तमाम शराइत का जामे हो जो कि ''सिमा'' सुनने वाले के लिये ज़रूरी हैं और जो सुना जाये वह नात व मनक़बत वग़ैरह के अशआ़र हों बेहूदा और लग़्व बातें न हों अन्दाज़ फ़िल्मी गानों वग़ैरह का न हो और मजलिस भी उन तमाम बातों से पाक हो जो ''महफ़िले सिमा'' के ख़िलाफ़ हों और सुनाने वाला भी उन शराइत का जामे हो जो कि ''सिमा'' सुनाने वाले के लिये ज़रूरी हैं। यानी सुनने वाला परहेज़गार मुत्तक़ी यादे हक़ में डूब कर सुने महफ़िल में कोई अमरद, औरत और फ़ासिक़ वग़ैरा न हों सुनाने वाला भी परहेज़गार मुत्तक़ी हो फ़ासिक़ न हो और इसके अलावा भी कोई काम उमूर शरअ़ के ख़िलाफ़ न हो तो जाइज़ है। लेकिन आज के ज़माने में इन शराइत का पाया जाना बहुत मुश्किल है। लेहाज़ा जो क़व्वालियाँ राइज है जिनमें ना जाने कितने हराम काम होते हैं वह शरीअ़त मुत़हरा के खिलाफ़ हैं अल्लाह व रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब हैं। उनसे औलिया–ए–किराम भी राज़ी नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआ़ला मौसूफ़ की काविश को कुबूल फ़रमाये और लोगों को इन हराम कामों से बचने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। आमीन

सय्यद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती ग़ुफ़िरालहु

25 / रजबुल मुरज्जब 1435 हि0

गुले गुलज़ारे वाहि़दियत पीरे तरीक़त हज़रत

सय्यद मुहम्मद हुसैन मियाँ वाहिदी चिश्ती

सज्जादा नशीन : ख़ानकाहे आ़लिया चिश्तिया वाहि़दिया बिलग्राम शरीफ़।

मुझे यह मालूम हुआ कि हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद राह़त खाँ क़ादरी शाहजहाँपुरी ने मौजूदा दौर में फैली हुई बुराईयों में से एक बुराई मुरव्वजा क़व्वाली के शरअ़ई हुक्म को ब्यान करने के लिये एक किताब ''मुरव्वजा क़व्वाली का शरअ़ई हुक्म'' लिखी है। सुनकर बेहद ख़ुशी हुई क्योंकि यह एक ऐसा मसअ़ला है कि जिस पर ज़रूरत है कुछ लिखा जाये और अ़वाम के सामने पेश किया जाये क्योंकि बहुत से लोग मुरव्वजा क़व्वाली को जाइज़ ही नहीं बल्कि सवाब का काम समझते हैं। हालांकि आज क़व्वालियों में क्या कुछ नहीं हो रहा है? ताज्जुब तो जब होता है कि एक दिन पहले मिम्बरे रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सजाया जाता है नात व मनक़बत, तक़ारीर होती हैं और दूसरे दिन उसी पाक मिम्बर पर क़व्वालियों के लिये क़व्वालों को बैठा दिया जाता है। और कुछ नासमझ लोग जो अपने आपको अपने ही दिल में पढ़ा लिखा समझते हैं वह बिला वजह इसको जाइज़ ठहराते हैं कोई कहता है कि सिलसिलए चिश्तिया में जाइज़ हैं दूसरे सिलसिलों में नहीं जबकि शरीअ़त सब सिलसिलों के लिए बराबर है। कोई कहता है कि क़व्वाली रूह की ग़िज़ा है हालांकि मुरव्वजा क़व्वाली रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि नफ़्स की ग़िज़ा है क्योंकि जो चीज़ नफ़्स को भली मालूम हो वह रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकती और मुरव्वजा क़व्वाली नफ़्स को भाती है तभी तो फ़ासिक़ व फ़ासिक़ात और बेनमाज़ी शरीअ़त की पैरवी न करने वाले इसको पसन्द करते हैं किसी के रूह की ग़िज़ा कहने से ऐसा हो भी यह ज़रूरी नहीं कोई शराब पिये और उसको रूह की ग़िजा बताये या अपने हक़ में मुफ़ीद बताये तो यह बात सच्ची नहीं हो सकती।

अल्लाह तआ़ला मौसूफ़ के क़लम में स़दाक़त का ज़ोर और ज़बान व क़लम के ज़रीये ख़ूब ख़ूब दीन की ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और इस किताब को मक़बूल ख़्वास व अ़वाम बनाये।

सय्यद मुहम्मद हुसैन चिश्ती वाहिदी बिलग्रामी

इज़हारे मसर्रत

अज़ :—नबीरए आला हज़रत हज़रत अल्लामा अलहाज अश्शाह मुहम्मद **सुब्हान रज़ा खाँ सुब्हानी मियाँ** सज्जादा नशीन दरगाहे आला हज़रत बरेली शरीफ़

आज इल्मे दीन की तरफ़ अवाम की रग़बत न होने की वजह से अवाम ने दीन के नाम पर न जाने कितने ऐसे काम ईजाद कर रखे हैं कि जो बाइसे सवाब तो क्या होंगे अल्बत्ता जहन्नम में ज़रूर ले जायेंगे। इन्हीं ख़ुराफ़ाती और मज़मूम कामों में से आज के दौर में होने वाली मुरव्वजा क़व्वालियाँ भी हैं जिनमें उ़मूमन फ़ासिक़ व फ़ाजिर बल्कि नशा करने वाले क़व्वाल ढोल, ताशे, मज़ामीर, हरमोनियम वग़ैरह के साथ क़व्वाली गाते हैं जिनके अशआ़र उमूमन ग़ैर शरअ़ई होते हैं बल्कि बाज़ जगह तो तवायफ़ों तक को क़व्वाली के मुक़ाबले के लिये लाया जाता है और कोई रोकने वाला अगर रोके तो यह लोग फ़ौरन ही चिश्ती सूफ़िया—ए—किराम का हवाला पेश करते हैं हालांकि एक आम आदमी भी यह फ़ैसला कर सकता है कि कहाँ उन सूफ़िया—ए—किराम की रूहानी "महफ़िले सिमा" और कहाँ इनकी क़व्वाली की ग़ैर शरअ़ई महफ़िलें। कहाँ उन सूफ़िया—ए—किराम का पाकीज़ा कलाम और कहाँ इनके बेग़ैरती से पुर फक्कड़ और ग़ैर शरअ़ई अश्आ़र। आज इस बात की ज़रूरत है कि अवामी ज़ुबान में सहल और सादा अन्दाज़ में इन ग़ैर शरअ़ई उमूर को रोकने के लिए मुख़्तसर किताबचे मन्ज़रे आम पर लाये जायें। यह सुनकर बड़ी मसर्रत हुई कि हमारे "जामिया रज़विया मन्ज़रे इस्लाम" में शोबए ट्रेनिंग में तदरीसी ख़िदमात अन्जाम देने वाले मौलाना मुहम्मद राहत खाँ क़ादरी ज़ीदामज्दोहू ने "मुरव्वजा क़व्वाली का शरअ़ई हुक्म" नामी रिसाला हिन्दी ज़ुबान में तहरीर फ़रमाकर अवाम की इस्लाह का एक बेहतरीन सामान फ़राहम किया है। अल्लाह तआ़ला उनके इस इस्लाही जज़्बे को क़बूल फ़रमाये और अवामे अहले सुन्नत को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे। आमीन

फ़क़ीर क़ादरी मुहम्मद सुब्हान रज़ा खाँ सुब्हानी गुफ़िरालहु

बतारीख़ 25—रजब 1435 हिजरी

इस दौर में मुसलमानों के खिलाफ आलमी पैमाने पर तरह–तरह की साज़िशे रची जा रही हैं और इस्लाम के खिलाफ तमाम बातिल (झूठे) फिरक़े कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाये। और मुसलमानों को उनके बुज़ुर्गों के तरीक़ों से दूर कर दिया जाये। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने बुजुर्गो की सीरत पढ़ें उनके किरदार व अमल को देखें और इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी ज़िन्दगी गुज़ारें।

आज के इस फितनों से भरे दौर में मुसलमानों के अन्दर ना जाने कितनी खुराफातों ने जन्म ले लिया। और मुसलमान भी शैतान के जाल में फंस कर अपने दीन और मज़हब की बातों को भूल बैठा, जो चीज़ें शरीअत के एतबार से बुरी (हराम, नाजाइज़ मकरूह और मना) हैं। उनको फ़ख्र के तरीक़े से करने लगा और जो चीज़ें शरीअत में अच्छी (फर्ज़, वाजिब, सुन्नत मुस्तहब और जाइज़) हैं उनको अदा करने में शर्म महसूस करने लगा यही नहीं बल्कि शरीअत की बातें बताने वाले उलमा–ए–किराम से दूरी पैदा कर ली और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जिन कामों में शरीअत की इजाज़त थी या वह सवाब के काम थे लेकिन शैतान के धोखे में आकर उन में भी ग़लत कामों को मिला लिया गया जैसे औलिया–ए–किराम की मज़ारों पर उर्स करना, हाज़री देना चादरें और फूल पेश करना, और इन नेक कामों का सवाब साहिबे मज़ार को पेश करना वलियों को अपनी मुराद के लिये अल्लाह तआ़ला की बारगाह में वसीला बना कर अल्लाह तआ़ला से दुआ करना। यह तमाम जायज़ काम हैं। लेकिन इसमें बहुत से नाजाइज़ काम भी शामिल कर लिये गये हैं। जो कि शरीअत के एतबार से हराम, नाजाइज़, खुदा के हुक्म के खिलाफ़ औलिया–ए–किराम के तरीक़ों के खिलाफ़ बल्कि अल्लाह की और उसके रसूलों की और उसके फरिश्तों की नाराज़गी और लानत का सबब हैं। जैसेः– ग़ैर महरम

मर्दों के साथ बेपर्दा औरतों का मज़ारों पर जाना, मर्दों और औरतों का आपस में इख़्तिलात (मर्दो, औरतों का एक दूसरे से मिलना जिस्म से जिस्म का मिलना) और ढोल ताशों और तमाशों के साथ क़व्वाली करना यह तमाम काम शरीअत के ऐतबार से नाजाइज़ और हराम, और अल्लाह तआला के क़हर और गज़ब का सबब हैं। और खुद औलिया–ए–किराम भी ऐसी बातों से हर्गिज़ हर्गिज़ खुश नहीं हो सकते कि जिन बातों से अल्लाह और रसूल राज़ी ना हों।

बाज जगह तो बेहयाई और बेग़ैरती की हद हो गई है कि औलिया–ए–किराम जिन का हम दिल से ऐहतराम करते हैं जिनकी इज़्ज़त और अज़मत की खातिर हम अपने खून के एक एक क़तरे को बहा दें तो यह कम है। उन्हीं औलिया–ए–किराम के मज़ारात पर हमारे अपने सुन्नी भाई कि जिन के ऊपर बेहयाई, बेग़ैरती और बेशर्मी शैतान के जाल में फंस कर ऐसी सवार हो चुकी है कुछ जगह तो क़व्वाली के नाम पर मर्दों और औरतों का मुकाबला तक होता है जिसमें ईश्क़िया और गन्दे अशआ़र कहे जाते हैं। जिसकी बुराई किसी भी मुसलमान से पोशीदा नहीं है।

इस रिसाले में ढोल ताशे बाजे के साथ क़व्वाली का शरअई हुक्म इस उम्मीद के साथ लिखा जा रहा है कि हमारे जो सुन्नी भाई इसके हुक्म को नहीं जानते कि इसमें कितना गुनाह है वह इसको सही काम समझ कर करते हैं या इसमें शरीक होते हैं और खून पसीने की कमाई और क़ीमती वक्त को खर्च करके गुनाहों को खरीदते हैं वह इसकी हक़ीक़त को जान जायें।

मुसलमान के लिये सब कुछ उसका दीन और ईमान है, हर एक मुसलमान के दिल में यह ख़्वाहिश और यह तमन्ना होनी चाहिए कि वह अपने आप को और अपने घर वालों को गुनाहों से रोके और दूसरे मुसलमानों को भी बुरे कामों से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे, जैसे ही किसी काम के बारे में मालूम हो कि यह शरीअत के खिलाफ़ है। उससे रूक जाये और जिन लोगों को रोक सकता है उन को भी रोके।

बुरे काम से बचने और अच्छे काम को करने का हुक्म

हदीस 1. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं : जिस कौम में गुनाह होते हों और वह लोग उस ग़लत काम को रोक सकते हों फिर भी ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह तआ़ला सब (गुनाह करने वालों और ना रोकने वालों) पर अज़ाब भेजे। (मिशकात पेज 436 कन्जुल उम्माल भाग 2 पेज 19, हदीस न0 470)

हदीस 2. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं : तुम में से जो शख़्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदल दे और अगर इसकी ताकत न हो तो ज़ुबान से बदले और इसकी ताक़त न हो तो दिल से। यानी उसे दिल से बुरा जाने और यह कमज़ोर ईमान वाला है। (मिशकात शरीफ पेज न0. 436, कन्ज़ुल उम्माल भाग 2 पेज 16 हदीस न0 398)

हदीस 3. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं : लोगों की हैबत (डर) हक़ बोलने से न रोके जब मालूम हो तो कह दे (मिशकात शरीफ़ पेज 438 कन्ज़ुल उम्माल भाग 2 पेज 16)

मुसलमानों ग़ौर करो सोचो! हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने गुनाह को हाथ से रोकने का हुक्म दिया, ज़ुबान से रोकने का हुक्म दिया। अपने हाथ से और ज़बान से रोकने की कोशिश करो अगर इतनी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जान कर अपने आप को और अपने घर वालों को गुनाहों से रोके रखो अल्लाह के अज़ाब से डरो तुम्हारा माल और दौलत तुमको अज़ाब से नहीं बचा सकता।

मालो दौलत सब का सब यूँही धरा रह जायेगा।
बस अमल जो नेक है वह साथ तेरे जायेगा।

मुरव्वजा कव्वाली के लिए चंदे का हुक्म

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है : नेकी और परहेज़गारी पर मदद करो गुनाह और सरकशी पर मदद न करो। (कुर्आन शरीफ़ पा0 6 रूकू 5)

हदीस शरीफ़ में है : जो किसी हिदायत के काम की तरफ़ बुलाए जितने उसकी इत्तिबा करें उन सब के बराबर सवाब पाए और उस से उनके सवाबों में कुछ कमी न आए, और जो किसी अमरे दलालत (गुनाह के काम) की तरफ बुलाए जितने उसके बुलाने पर चलें उन सब के बराबर उस पर गुनाह हो और उससे उनके गुनाहों में कुछ कमी न हो।

ग़ाफ़िल बन्दो होश में आओ!

जो चन्दा करने वाले हैं उन पर उन लोगों का भी गुनाह है जो चन्दा देते क़व्वालों का भी गुनाह है और मर्दो, औरतों के इख़तिलात का भी गुनाह अगर क़ब्रों की बेहुरमती होती हो तो इसका भी गुनाह गर्ज़ चन्दा करने वाले और देने वाले, जो चन्दा मुरव्वजा क़व्वाली कराने की वजह से हो वह सब गुनाह चन्दा करने और देने वालों पर है और उनके गुनाह में कुछ कमी भी न हो क्योंकि अगर यह चन्दा करके यह सब इन्तेज़ाम न करते देने वाले न देते तो लोग गुनाह करने क्यों आते?

शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फरमाते हैं ढोल, हारमूनियम, सारंगी बजाने वालों और गाने वालों को देना मना है। (अशिअतुल्लमआ़त भाग 2 पेज 30)

मज़ामीर के साथ क़व्वाली का हुक्म हदीस की रौशनी में ढोल, ताशे के साथ क़व्वाली नाजाइज़ और हराम है।

हदीस 1. हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ऐसी क़ौम का जिक्र करके इरशाद फ़रमाया सुअर हो जायेंगे।

(बुखारी शरीफ़ पेज 837)

हदीस 2. हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : दो आवाज़ें दुनिया और आख़िरत में मलऊन हैं खुशहाली के वक़्त गाना बजाना, मुसीबत के वक्त रोना, चिल्लाना।

(कन्ज़ुल उम्माल भाग 5 पेज 219 हदीस नं0 40661)

हदीस 3. हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने

इरशाद फ़रमाया : जो कोई गाने वाली गवय्या के पास बैठ कर उसका गाना सुने तो अल्लाह तआ़ला उसके दोनों कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देगा। (कन्ज़ुल उम्माल भाग 15 पेज 220 हदीस 40669)

हदीस 4. हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : मुझे दो नादान बदकार बातों से रोक दिया गया यानी आराम के वक्त गाना बजाना, मुसीबत के वक्त रोना चिल्लाना। (तिर्मिज़ी शरीफ़ भाग 1 पेज 120)

लिहाज़ा इन हदीसों से मालूम हुआ कि ढोल बाजे जिस तरह से क़व्वालियों में बजाये जाते हैं ताल के साथ मर्दों व औरतों के इख़्तिलात के साथ वह किसी भी वक़्त जाइज़ नहीं हैं।

सिमा और क़व्वाली

सिमा : सिमा का ज़रिया गाने बजाने के आलात (औज़ार जैसे :– ढोल, ताशा, बाजा, तबला, सारंगी) वग़ैरा चीज़े मजलिस तक में न हों, सुनाने वाला बालिग़ मर्द हो बच्चा वगैरा (बिना दाढ़ी मूंछों वाले अमरद) और औरत न हो, सुनने वाला जो कुछ सुने तो यादे हक़ पर मब्नी हो यानी उस वक़्त दुनयावी चीज़ों की याद में खोया हुआ न हो जो कुछ सुना जाये वो बेहूदा मज़ाक और लग्व (फालतू) न हो, कोई कलिमा खिलाफ़े शरीअ़त न हो, न किसी ज़िन्दा अमरद का ज़िक्र हो और न किसी औरत की तारीफ़ न ऐसी क़रीबी मुर्दे का नाम हो कि जिसके करीबी ज़िन्दा हों और उन्हें बुरा लगे, जिस जगह सिमा हो रहा है वह फ़ासिक़ों (नमाज़ छोड़ने वालों, मालदार होकर ज़कात न देने वालों, अपने चेहरे पर दाढ़ी न रखने वालों, अपनी बीवीयों और जवान लड़कियों को बेपर्दा घर मे बाहर निकलने से न रोकने वालों और झूठ, ग़ीबत, चुग़ली, सूदखोरी करने वालों वगैरा) की मजलिस न हो, सिमा ऐसे वक़्त न हो कि जिससे जमात के साथ नमाज़ वग़ैरा किसी फर्ज़ या वाजिब या अहम शरअ़ई अम्र (काम) में खलल आये, पढ़ना या गाना ऐसी आवाज़ से न हो जिससे

किसी नमाज़ी की नमाज़ सोते की नींद या मरीज़ के आराम में खलल आये अगर यह तमाम शर्तें पाई जायें तो सिमा हलाल और जाइज़ है। (फ़तावा रज़विया भाग 24 पेज 125/ सैरूल औलिया पेज 502)

इसी को हमारे बुज़ुर्ग सिमा कहते थे। आज के इस ज़माने में जो नाजाइज़ तरीक़ों से यानी ढोल, ताशे, हरमोनियम मर्दों और औरतों के इख़्तिलात के साथ जो मज़ारात पर होता है उसे लोग क़व्वाली कहते हैं।

हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने आखिर उम्र शरीफ़ में सिमा सुनना छोड़ दिया था इसकी वजह यह थी कि अब कोई गाने वाला अहल (जो नमाज़ का पाबन्द हो, दाढ़ी वाला हो, शरीअ़त के तमाम फर्ज़ और वाजिब कामों को अदा करता हो और गुनाहों के तमाम कामों से बचता हो) न मिलता था। आपसे पूछा गया कि आपने सिमा क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया : किन लोगों के साथ होकर सुनता? यानी जो लोग साथ थे अहल होते थे। फिर उनसे कहा गया अपनी ज़ात के लिये सुना करें फरमाया किससे सुनूँ? क्योंकि वह सिमा सिर्फ अहल (जो नमाज़ का पाबन्द हो, दाढ़ी वाला हो, शरीअ़त के तमाम फर्ज़ और वाजिब कामों को अदा करता हो और गुनाहों के तमाम कामों से बचता हो) के साथ होकर सुना करते थे फिर जब ऐसे लोग नायाब और ना पैद हो गए तो सिमा छोड़ दिया। (अवारिफुल मआ़रिफ़ पेज 114 बाब 23)

मज़ामीर के साथ सिमा के मना होने पर महबूबे इलाही हज़रत निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के इरशादात

कुछ बे इल्म जाहिल कि जिनको ना ही नमाज़ का तरीक़ा मालूम और उन चीज़ों को भी नहीं जानते क्या फर्ज़ है क्या वाजिब? क्या हराम है और क्या मकरूह? वह अपने आप में चूर होकर बड़ी–बड़ी बातें मारते हैं, और यह बकवास करते हैं कि कव्वाली तो

सिलसिला–ए–चिश्तिया के बड़े बुज़ुर्गों से चली आ रही है। पहली बात तो मज़ामीर, ढोल, तमाशा, हरमोनियम, तबला वगैरह का हराम होना हदीस शरीफ़ से साबित है। अगर कोई चीज़ हदीस से साबित हो और उसके खिलाफ़ कोई जाहिल किसी बुज़ुर्ग के अमल को बताये तो (मआज़ अल्लाह) उसने सबसे पहले उस बुज़ुर्ग पर उंगली उठाई कि वह हदीस के खिलाफ़ हराम काम करते थे शरीअ़त की पैरवी नहीं करते थे हालांकि हमारे तमाम वली, अल्लाह तआ़ला के अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करते थे और कोई भी काम शरीअ़त के खिलाफ़ नहीं करते थे। यह उन के ऊपर तोहमत है। उनका दामन तो ढोल ताशे वगैरह की तमाम गन्दिगियों से पाक और साफ़ है अल्लाह तआला हमें भी उनके तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाये।

ऐ जोशे जुनूं खामोश न रह कुछ ख़ाक उड़ा वीराने की।
दीवाना बनना तो मुश्किल है सूरत ही बना दीवाने की।

दूसरी बात यह कि उन बेइल्म लोगों को हराम, हलाल की जानकारी नहीं बिला वजह अपनी जिहालत में चूर होकर इसको जाइज़ बताते हैं हदीस शरीफ़ में है जिसने बगैर जानकारी (अन्दाज़े और अटकलें लगाकर) मसअ़ला बताया उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की लानत है।

मज़ामीर के साथ क़व्वाली हराम होने पर महबूबे इलाही का फतवा

सुल्तानुल मशाइख़ महबूबे इलाही हज़रत ख़्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि जो कि सिलसिलए चिश्तिया के बड़े बुज़ुर्गों में से हैं उनके एक ख़ादिम ने उनकी बारगाह में अर्ज किया कि इन दिनों आस्ताने के फ़क़ीरों ने उस मजलिस और महफिल में नाच किया है जहाँ आलाते सिमा चंग और रूबाब, सारंगी और मज़ामीर वगैरह थे। तो आप ने इरशाद फरमाया

उन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि जो काम नाजाइज़ है वह पसन्दीदा नहीं हो सकता। उसके बाद एक कहने लगा कि जब यह लोग इस हालत से फ़ारिग हुये तो लोगों ने उनसे पूछा कि यह तुमने क्या किया है? इस महफिल में तो मज़ामीर भी थे फिर भी तुमने क़व्वाली सुनी और नाचते भी रहे। उन्होंने जवाब दिया कि हम सिमा में इतने खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि मज़ामीर हैं भी या नहीं? इस पर सुल्तानुल मशाइख़ महबूबे इलाही हज़रत ख़्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने फरमाया यह ठीक जवाब नहीं इसलिये कि यह बहाना तो तमाम गुनाहों को करने वाले कर सकते हैं। (सैरूल औलिया पेज 530—531 बाब 9 सिमा और वज्द का ब्यान)

मुसलमानों ग़ौर करो! कि सुल्तानुल मशाइख़ महबूबे इलाही हज़रत ख़्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने मज़कूरा कामों को नाजाइज़ बताया और यह भी बताया कि नाजाइज़ काम पसन्दीदा नहीं हो सकता और इस बहाने की वज़ाहत फरमाई कि **''हम सिमा में ऐसे खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला''** यह बहाना तो हर गुनाह में चल सकता है। शराब पिये और कह दे कि **''हम तो खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि शराब है या पानी''** ज़िना करे और कह दे कि **''हम तो खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि जोरू है या बेगानी''**।

इसी ''सैरूल औलिया'' में है कि सुल्तानुल मशाइख़ महबूबे इलाही हज़रत ख़्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने इरशाद फरमाया है मैंने मना किया है कि मज़ामीर और हराम चीज़े दरमियान में न हों। (सैरूल औलिया पेज 532)

क्या ढोल बाजे, ताशे के साथ क़व्वाली किसी सिलसिले में जाइज़ है?

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि

तआ़ला अ़लैहि इस हुक्म को ब्यान करते हुए लिखते हैं ''सिमा कि बे मज़ामीर हो और सुनाने वाला ना औरत हो न अमरद। जो सुना जाये वह न फहश (गन्दी बातें) हों ना बातिल, और सुनने वाला न फ़ासिक हो न शहवत परस्त। तो इसके जाइज़ होने में कोई शक नहीं। क़ादरिया और चिश्तिया सब के नज़दीक जाइज़ है वरना सबके नज़दीक नाजाइज़। (फ़तावा रज़विया भाग 24 पेज 133)

शरीअ़त कुर्आन व हदीस के अहकाम का नाम है ऐसा नहीं है कि सिलसिला–ए–क़ादरिया के लिये किसी काम का करना नाजायज़ व हराम हो और वही काम सिलसिला–ए–नक़्शबन्दिया या सिलसिला–ए–चिश्तिया और सिलसिला–ए– सोहरवर्दिया में जाइज़ हो जाये। बल्कि जो एक सिलसिले में जाइज़ होगा वह सब सिलसिलों में जाइज़ होगा। शरीअ़त का हुक्म सब सिलसिलों के लिए बराबर है।

बुज़ुर्गों ने क्या ही ख़ूब फ़रमाया है कि ''शरीअ़त पेड़ है और तरीक़त उसका फल''। शरीअ़त की पैरवी के बग़ैर तरीक़त के मरातिब को पाना नामुमकिन है कि जिस तरह से पेड़ के बग़ैर फल पाना ना मुमकिन है ऐसा तो हो सकता है कि कोई इन्सान तरीक़त के किसी मर्तबे पर फाइज़ न हो लेकिन शरीअ़त पर अमल करता हो जैसे कोई पेड़ हो और उसका कोई फल न हो।

मुरव्वजा क़व्वाली का गुनाह

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि से सवाल हुआ ''एक उर्स में क़व्वाली इस तरीक़े से हो रही है कि ढोल और दो सारंगी बज रही हैं और चन्द क़व्वाल पीराने पीर दस्तगीर (ग़ौसे आज़म) की शान (तारीफ़) में शेर पढ़ रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की नात के अशआ़र और औलिया अल्लाह की शान में अश़आर गा रहे हैं और ढोल सारंगीयाँ बज रही हैं यह मज़कूरा (ज़िक्र किये हुये) बाजे तो

शरीअत में हराम हैं इस फ़ेल (काम) से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह खुश होंगे? हाज़रीने जलसा वग़ैरह गुनहगार हुये या नहीं? और ऐसी क़व्वाली नाजाइज़ है या नहीं?

आपने फरमाया : ऐसी क़व्वाली हराम है, हाज़रीन सब गुनहगार हैं, और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वाले और कव्वालों पर है और कव्वालों का गुनाह भी उस उर्स करने वाले पर बग़ैर इसके कि उर्स करने वाले के माथे कव्वालों के गुनाह जाने से कव्वालों पर से गुनाह की कुछ कमी आये। (यानी क़व्वालों का भी गुनाह कम न होगा या उसके क़व्वालों के ज़िम्मे हाज़रीन का बवाल पड़ने से हाज़रीन के गुनाह में कुछ तख़फीफ़ हो) हाज़रीन के गुनाह में भी कुछ कमी न होगी। नहीं बल्कि हाज़रीन में हर एक पर अपना पूरा गुनाह और कव्वालों पर अपना गुनाह अलग और सब हाज़रीन के बराबर जुदा और सब हाज़रीन अलाहिदा (गुनहगार)। वजह यह है कि हाज़रीन को उर्स करने वाले ने बुलाया उनके लिये इस गुनाह का सामान फैलाया और क़व्वालों ने उन्हें सुनाया अगर वह सामान ना करता यह ढोल सारंगी ना सुनाते तो हाज़रीन इस गुनाह में क्यों पड़ते इसलिये इन सबका गुनाह उन (कव्वाली कराने वाले और कव्वाली सुनाने वाले) दोनों पर हुआ फिर क़व्वालों के गुनाह का बाईस (सबब) वह उर्स कराने वाला हुआ वह न करता न बुलाता तो यह क्यों कर आते बजाते लिहाज़ा क़व्वालों के बुलाने का गुनाह उस बुलाने वाले पर हुआ। (फ़तावा रज़विया भाग 24 पेज 113)

हज़रत इमाम ग़ज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि तआ़ाला अ़लैहि लिखते हैं क़ाजी अबुतय्यब तिबरी रहमतुल्लाहि तआ़ाला अ़लैहि ने हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआ़ाला अ़लैहि, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआ़ाला अ़लैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआ़ाला अ़लैहि, हज़रत सुफ़यान रदियल्लाहु तआला अन्हु और उलमाए किराम की एक जमात से ऐसे अलफ़ाज़ नक़ल किए जो सिमा के

अदमे जवाज़ (नाजाइज़ होने) के काइल थे।

(मुकाशिफितुल कुलूब मुतरजिम बाब 98 पेज 627)

बेपर्दा औरतों और मर्दो का एक जगह जमा होना

हदीस 1. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : औरत–औरत है यानी छिपाने की चीज़ है जब निकलती है तो शैतान उसे झांक कर देखता है। यानी उसे देखना शैतानी काम है। (मिशकात शरीफ़ पेज 269 इस्लामी अख़लाक व आदाब पेज 92)

हदीस 2. हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि मुझे यह खबर पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ नज़र की गई अल्लाह की लानत है।

(मिशकात शरीफ़ पेज 270)

हदीस 3. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जब तुम्हारे सामने से औरतें आ जायें तो उनके दरमियान में न गुज़रो दाहिने या बायें का रास्ता ले लो।

(बहारे शरीअ़त भाग 16 पेज 88 बहवाला बैहक़ी)

हदीस 4. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द को दो औरतों के दरमियान चलने से मना फ़रमाया।

(बहारे शरीअ़त भाग 16 पेज 88 बहवाला अबु दाऊद शरीफ़)

औरतों की बेपर्दगी का बवाल

औरतों की बेपर्दगी अल्लाह तआ़ला के गज़ब (नाराज़गी) और तबाही का सबब है। कुरआन शरीफ़ में है "और ज़मीन पर पांव ज़ोर से न रखें कि जाना जाए उनका छिपा हुआ सिंगार" (कंज़ुल ईमान मअ़ कुरआने करीम पारह 18 आयत 31)

इस आयत की तफ़सीर में अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं ''यानी औरतें घर के अन्दर चलने फिरने में भी पांव इस कद्र आहिस्ता रखें कि उनके ज़ेवर की झन्कार न सुनी जाये''। (खज़ाइनुल इरफ़ान)

हदीस :– हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : आँखें ज़िना करती हैं। (मसनदे इमामे अहमद भाग 3 पेज 305) यानी आँखों से शहवत की नज़र से ग़ैर औरत को देखना यह उनका ज़िना है।

जो अपने घर की औरतों को बे पर्दगी से मना न करें

जो लोग अपने घर की औरतों को बेपर्दगी से न रोकें या उनको मेले ठेले या किसी ऐसी जगह खुद लेकर जायें कि जहाँ ग़ैर मर्द उनके जिस्मों को छूकर लुत्फ़ अन्दोज़ी हासिल करें तो यह हराम और गुनाह का काम है। और ऐसा मर्द ''दय्यूस'' है। हदीस शरीफ़ में है तीन आदमी कभी जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे। 1– दय्यूस 2– मर्दानी वज़ा (सूरत) बनाने वाली औरत 3– शराब पीने का आ़दी। (मजमउज़्ज़वाइद भाग 4 पेज 99 हदीस न0 7722)

औरत अगर किसी ना महरम के सामने इस तरह आए कि उसके बाल और गले और गर्दन और पीठ या कलाई या पिंडली का कोई हिस्सा ज़ाहिर हो या लिबास ऐसा बारीक हो कि इन चीज़ों में से कोई हिस्सा चमके यह बिलइजमा हराम और ऐसी वज़अ़ और लिबास की आ़दी (आदत रखने) वाली औरतें फासिक़ात हैं। उनके शौहर अगर इस पर राज़ी हों और हत्तल मक़दूर बन्दोबस्त (यानी रोकने को पूरी ताक़त का इस्तिमाल और तदबीरें) न करें तो वह दय्यूस हैं।

अल्लामा अ़ला उद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं दय्यूस वह होता है जो अपनी बीवी या महरम पर ग़ैरत

न खाये। (दुर्रे मुख़्तार भाग 6 पेज 113)

"दय्यूस" वह लोग हैं कि जिनके घर में ग़ैर शख़्स आकर उसकी बीवी, लड़कियों, बहुओं के साथ बेहयाई के काम करें और वह अनदेखी करें, चुप रहें।

हदीस शरीफ़ में है : दय्यूस वह बे हया मर्द है जिस को इस बात की परवाह नहीं कि उसकी बीवी के पास कौन आता है और क्यों आता है? और इसी तरह वह बे मुरव्वत औरत बे हया औरतें जो बाहर घूमती फिरती हैं और ग़ैर मर्दों से लापरवाही और बे हयाई के साथ बातें करती हैं। (इब्ने माजा)

इससे मालूम हुआ कि आदमी अपनी बहू बेटी और बीवी को इस हाल में बर्दाश्त करे कि वह ग़ैर महरम के साथ आयें जायें और बिना रोक टोक के बातें करें, या अपनी बहू बेटियों के बे पर्दा निकलने की इजाज़त देना कि कोई भी उन्हें देख ले तो ऐसे लोग दय्यूस हैं। और जो लोग औरतों के चेहरे पर नक़ाब की मुखालफ़त करें या अपनी औरतों का खुला हुआ चेहरा लेकर ग़ैर मर्दो के सामने से गुज़रें या ग़ैर मर्दों के मेलों ठेलों में लेकर जांए या उनको इसकी इजाज़त दें तो वह दय्यूस हैं।

औरतों पर शौहरों की इजाज़त के बग़ैर घर से निकलने का बवाल

हदीस शरीफ़ में है : मर्द का औरत पर यह हक़ है कि शौहर की बग़ैर इजाज़त कहीं न जाए अगर जायेगी तो आसमान के फ़रिश्ते रहमत के फ़रिश्ते, अज़ाब के फ़रिश्ते सब उस पर लानत करेंगे जब तक पलट कर आए।

मेला, ठेला, तमाशा वाली जगह औरतों और लड़कियों के जाने का नुक़सान

आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फरमाते हैं :

शरीफ़ ज़ादियों का उन आवारा (औरतों) बद वज़ओं के सामने आना ही सख़्त बेहूदा और बेजा है सोहबते बद ज़हरे क़ातिल है और औरतें नाज़ुक शीशियाँ हैं कि जिनके टूटने को अदना ठेस बहुत होती है। (फ़तावा रज़विया भाग 9 पेज 78)

ग़ौर कीजिए! कि शरीफ़ औरतों का आवारा औरतों के सामने आने को सख़्त बेहूदा और बेजा बताया गया तो फिर औरतों का ऐसी जगह जाना कितना बड़ा गुनाह का काम होगा जहाँ ऐसी औरतें तो हों ही और न जाने कितने आवारा मर्द और लड़के भी हों। फिर जब औरतें नाज़ुक शीशियाँ हैं तो बच्चियों का क्या हाल होगा? बच्चे और बच्चियों को भी ऐसी जगह जाने से रोका जाए क्योंकि बचपन में जो आदत पड़ जाती है वह बाक़ी रहती है।

आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि दूसरी जगह फ़रमाते हैं ''औरत मोम की नाक बल्कि राल की पुड़िया बल्कि बारूद की डिबिया है, आग के एक अदना से लगाउ में भक से हो जाने वाली है, अक़्ल भी नाक़िस और तीनत में कजी और शहवत में मर्द से सौ हिस्सा बेशी (ज़्यादा) और सोहबते बद (बुरी) का असर मुस्तक़िल मर्द को बिगाड़ देता है फिर इन नाज़ुक शीशियों का क्या कहना जो खफ़ीफ़ (हल्की) ठेस से पाश पाश (टुकड़े टुकड़े) हो जायें।

(फतावा रज़विया भाग 9 पेज 183)

कब्रिस्तान की बेहुरमती का हुक्म

हदीस 1. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं : बेशक आदमी का आग की चिंगारी पर बैठे रहना यहाँ तक कि वह चिंगारी उसके कपड़े जला कर जिल्द (खाल) तक तोड़ जाए उसके लिए बेहतर है इससे कि क़ब्र पर बैठे।

(सुनने अबू दाऊद भाग 2 पेज 104)

हदीस 2. हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं : अलबत्ता आग की चिंगारी या तलवार पर चलना या जूता पैर से गाँठना मुझे इस से ज़्यादा पसन्द है कि क़ब्र पर चलूँ।

(सुनने इब्ने माजा पेज 113)

हदीस 3. अम्मारह बिन हज़्म से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक क़ब्र पर बैठे देखा फ़रमाया ''ऐ क़ब्र वाले क़ब्र से उतर आ न तू साहिबे क़ब्र को तकलीफ दे न वह तुझे। (शरहुस्सुदूर पेज 126)

हदीस 4. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से क़ब्र पर पैर रखने का मसअला पूछा गया आप ने फरमाया ''मुझ को जिस तरह मुसलमान ज़िन्दा की ईज़ा (तकलीफ़) ना पसन्द है। ऐसे ही मुर्दा की। (शहुस्सुदूर पेज 126)

हदीस 5. हज़रत अम्मारह बिन हज़्म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक क़ब्र से तकिया लगाए देखा फ़रमाया इस क़ब्र वाले को ईज़ा न दे। या यह फ़रमाया इसे तकलीफ़ न पहुँचा। (मिशकात शरीफ़ पेज 149)

मुसलमानों ग़ौर करो सोचो!

मुर्दो की इस तकलीफ़ और परेशानी का तजर्बा जो कि उनकी कब्र को रौंदने से उनको होती है। ताबेईन और साहिबे बस़ीरत उलमाए किराम ने किया उसके चंद वाक़ियात दर्ज किये जाते हैं:–

1. इब्ने अबिद्दुनिया अबू कलाबा बसरी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि से रावी कि मैं मुल्के शाम से बसरा को जाता था। रात को खन्दक में उतरा, वुज़ू किया दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, फिर एक क़ब्र पर सिर रखकर सो गया जब जागा तो क़ब्र वाले (मुर्दे) को देखा कि मुझसे गिला (शिकायत) करता है और कहता है ऐ शख़्स तूने मुझको रात भर ईज़ा दी।(शरहुस्सुदूर पेज 128)

2. अबू मीना ताबई रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि से रिवायत कहते हैं मैं मक़बरे में गया दो रकअ़त पढ़कर लेट गया खुदा की क़सम मैं खूब जाग रहा था कि सुना कोई शख़्स क़ब्र में से कहता है : उठ कि तूने मुझको अज़िय्यत दी। (दलाइलुन्नबुव्वत भाग 7 पेज 40)

3. इमाम क़ासिम बिन मुख़ैमरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि अगर मैं तिपाई भाल (भाला, अन्नी, नेज़ा) पर पैर रखूँ कि मेरे क़दम से पार हो जाए तो यह मुझ को ज़्यादा पसंद है इससे कि क़ब्र पर पैर रखूँ। (शरहुस्सुदूर पेज 126)

4. अल्लामा शरमबुलाली रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि लिखते हैं : मुझको मेरे उस्ताद अ़ल्लामा मुहम्मद बिन अहमद हन्फ़ी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने बताया कि जूते की आवाज़ से मुर्दे को ईज़ा (तकलीफ़) होती है। (मराक़िल फ़लाह पेज 242)

इन अहादीस से मालूम हुआ कि मुर्दों को हमसे तकलीफ़ पहुँचती है वह हम से शिक्वा और शिकायत करते हैं मगर हमें ख़बर नहीं होती। अगर हम भी अपने बुज़ुर्गों की तरह नेक होते तो उनकी शिकायतों और शिकवों को सुनते।

कब्रों के बारे में फुक़हा के फरमान

1. क़ब्र पर इमारत बनाना, बैठना, सोना, रौंदना, बोलो बराज़ (पेशाब व पैख़ाना) करना मकरूह है। (फतावा आलमगीरी भाग 1 पेज 166)

2. जिस से ज़िन्दों को अज़िय्यत (तकलीफ़) होती है उससे मुर्दे भी ईज़ा (तकलीफ़) पाते हैं। (रद्दुल मुहतार भाग 1 पेज 229)

शामी में तहतावी के हवाले से है कि उलेमा ने इस बात की तस़रीह की है कि कब्रस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया है उस पर चलना हराम है। (रद्दुल मुहतार भाग 1 पेज 229)

दर्से इबरत

सुन्नी मुसलमानों! ज़रा ग़ौर कीजिए कि अगर हम किसी ज़िन्दा को तकलीफ़ पहुँचाए या उसको परेशान करें तो वह हमें रोकने की कोशिश भी कर सकता है और दूसरे से शिकायत भी। लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई क़ब्रों में दफ़न हैं हम उनको किसी भी तरीक़े से कोई परेशानी या तकलीफ़ पहुँचायें तो वह हमको रोक भी नहीं सकते दूसरे से शिकवा व शिकायत भी नहीं कर सकते।

पीछे ज़िक्र की गयी हदीसों और ताबेईन के वाक़ियात और फ़ुक़हाए इस्लाम के अक़वाल (फ़तवों) से मालूम हुआ कि क़ब्र पर तकिया लगाने से उन पर चलने से उनके पास जूते और चप्पलों की आवाज़ करने से कब्र वाले मुर्दों की तौहीन होती है। और हदीसों से मालूम हुआ कि कब्र पर बैठने और चलने से ज़्यादा बहतर है कि आग के शोले या भाले पर पैर रखा जाए और वह उसके पैर से पार हो जाए।

तो फिर क़ब्रस्तान में कोई भी ऐसा काम करना या कराना जायज़ नहीं कि जिससे मुसलमानों की कब्रों की तौहीन और बेहुर्मती हो। कब्रस्तान में मेला लगाना कि जिसमें क़ब्रों पर दुकानें लगें आग की भट्टियाँ सुलगाई जायें। हिन्दू–मुसलमान, मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियाँ सब शरीक हों कैसे दुरूस्त हो सकता है? हर वह मुसलमान कि जिसको अल्लाह तआ़ला ने अक़्ल अ़ता की और वह शरीअ़त की बातों को थोड़ा सा भी समझता है इसको गलत ही बताएगा। लिहाज़ा जहाँ पर भी ऐसा माहोल हो तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए वरना वह लोग जो ऐसे कामों को करते हैं और वह जो इसमें शरीक़ होते हैं सब गुनहगार होंगे और करने वालों पर शरीक़ होने वालों का भी गुनाह होगा। उनके गुनाह में भी कोई कमी न होगी।